न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. **2022/324**

01. श्योराम पुत्र रामस्वरूप,
02. रामवतार पुत्र झाबर,
03. महेन्द्र पुत्र शुभराम,
04. लेखराम पुत्र शुभराम,
05. मानसिंह पुत्र हरकरण जातियान जाट निवासी कांकरा बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर।

———अपीलाण्टान

बनाम

01. देशबन्धु पुत्र जयप्रकाश जाति अहीर,
02. दीनबन्धू पुत्र श्री जयप्रकाश जाति अहीर,
03. विश्वबन्धु पुत्र श्री जयप्रकाश जाति अहीर,
निवासीयान ग्राम शाहपुर अव्वल (मान्दी) तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ — हरियाणा।

——असल रेस्पोडेन्टान

01. अमर सिंह पुत्र सुलतान—मृतक
01/1.संजय कुमार पुत्र अमर सिंह,
02. अमर सिंह पुत्र सांवल जाति जाट,
03. करतार पुत्र ख्याली जाति जाट,
04. जगमाल पुत्र सांवता जाति मीणा,
05. बिमला पुत्री सांवल जाति जाट,
06. महेन्द्र पुत्र जयसिंह जाति जाट,
07. महा सिंह पुत्र सांवल जाति जाट,
08. महा सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट,
09. रतिराम पुत्र सांवल जाति जाट,
10 रामनिवास पुत्र सांवल — मृतक लाऔलाद फौत
11. रामसिंह पुत्र श्री ख्याली जाति जाट,
12. रामातोर पुत्र सांवल जाति जाट,
13. श्योबाई पुत्री श्री सांवल जाति जाट,
14. शांति पुत्री श्री सांवल जाति जाट,
15. सत्यवीर पुत्र श्री जयसिंह जाति जाट,
16. सुबे सिंह पुत्र सांवल जाति जाट,
17. सुमेर सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट,
18. सुरजभान पुत्र रामदेव जाति जाट,
19. साधुराम पुत्र ख्याली जाति जाट,
20. हुकम सिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट,
21. हुकम सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट,
22. हनुमान पुत्र सांवता जाति मीणा,
23. बुधराम पुत्र भूरा जाति जाट,
24. भीमसिंह पुत्र बलवंत जाति जाट,
25. राकेश पुत्र बलवंत जाति जाट,
26. जगदीश पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट,
27.. बलवंत सिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट,
28. इन्द्रा पत्नी श्री सुल्लडराम जाति जाट,

P.T.O.

29. जितेन्द्र कुमार पुत्र हेतूराम जाति जाट,
30. नन्दराम पुत्र हेतूराम जाति जाट,
31. नरेन्द्र पुत्र श्री सुल्लडराम जाति जाट,
32. राजेश कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट,
33. स्नेहलता पुत्री श्री सुल्लडराम जाति जाट,
34. सुनिता पुत्री श्री सुल्लडराम जाति जाट,
35. उग्लेश पुत्री जगदीश जाति जाट,
36. गुरदयाल पुत्र श्री जयराम जाति जाट,
37. प्रभातीलाल पुत्र जयराम जाति जाट,
38. मुकेश पुत्र श्री जगदीश जाति जाट,
39. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश जाति जाट,
40. रामकंवार पुत्र जयराम–मृतक,
    40/1.वीर सिंह पुत्र रामकंवार जाति जाट,
    40/2.नरेश पुत्र रामकंवार जाति जाट,
    40/3.शर्मिला पुत्री रामकंवार जाति जाट,
    40/4.सुनीता पुत्री रामकंवार जाति जाट,
41. रामसिंह पुत्र जयराम जाति जाट,
42. विक्रम सिंह पुत्र जगदीश जाति जाट,
43. सुखराम पुत्र श्री छाजू जाति जाट,
44. संदीप सिंह पुत्र जगदीश जाति जाट,
45. सुमन पुत्री श्री जगदीश जाति जाट,
46. रामेश्वर पुत्र श्री सांवल जाति जाट,
47. वीर सिंह पुत्र सांवल जाति जाट,
48. शुभराम पुत्र सांवल जाति जाट,
49 किरण देवी पत्नी श्री महेन्द्र जाति मीणा,
50. घीसा पुत्र श्री छोटेलाल जाति मीणा,
51. लक्ष्मी देवी पत्नी बलवीर जाति मीणा,
52. प्रदीप कुमार पुत्र नन्दलाल जाति अहीर,
53. शुभराम पुत्र प्रभू – मृतक निवासीयान ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
54. सुभाष चन्द पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी जखराना तहसील बहरोड जिला अलवर।
55. सतीश पुत्र शुभराम जाति जाट निवासीयान ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर।
56. उमारानी पत्नी श्री महेश कुमार जाति महाजन निवासी कोटडा मुबारिकपुर नई दिल्ली।
57. ग्यारसी पुत्री श्री झाबर जाति जाट,
58. भगोती पुत्री हरकरण जाति जाट,
59. रामसिंह पुत्र श्री हरकरण जाति जाट,
60. रोहताश पुत्र श्री हरकरण जाति जाट,
61. अनीता पुत्री श्री हिम्मत सिंह जाति जाट,
62. अशोक कुमार पुत्र श्री फुसा जाति जाट,
63. ऋषभ पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जाट,
64. दयावंती पत्नी श्री हिम्मत सिंह जाति जाट,
65. बनारसी पत्नी श्री दलीप सिंह – मृतक

P.T.O.

66. भूपसिंह पुत्र फूसा जाति जाट,
67. रजनी पुत्री श्री दलीप सिंह जाति जाट,
68. रतनलाल पुत्र श्री फुसा जाति जाट,
69. राजेश कुमार पुत्र दलीप सिंह जाति जाट,
70. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति जाट,
71. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति जाट निवासीयान ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर।
72. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर राज0

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री मुकेश पंचाल, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हरिप्रसाद जांगिड़ एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 09.01.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी बाबत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसमें अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह, अप्रार्थी संख्या 10 रामनिवास, अप्रार्थी संख्या 40 रामकंवार, अप्रार्थी संख्या 54 शुभराम व अप्रार्थी संख्या 70 बनारसी की मृत्यु प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी जबकि असल रेस्पो0 के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन गया कि उसकी आराजी को अप्रार्थीगण का द्वारा दबा रखी है एवं उनकी पैमाईश रिकॉर्ड के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने के लिये दिनांक 20.06.2021 को कहा गया तो उनके द्वारा पत्थरगढ़ी करने से दिनांक 26.06.2021 को साफ तौर पर इन्कार कर दिया गया जब उपरोक्त अप्रार्थीगण की मृत्यु प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुकी तो वादकारण पैदा होने का सवाल ही पैदा नही होता। असल रेस्पो0 के द्वारा बेजा तौर से मनगढ़ण्त तारीख अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो खारिज किये जाने योग्य था लेकिन तहत अदालत द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर कतई गौर नहीं किया एवं असल रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र बेजा व गलत प्रकार से स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश दिये गये जो आदेश इसी बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो0 अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है, अपीलाण्ट द्वारा असल रेस्पो0 की आराजी पर कोई कब्जा व काश्त नहीं कर रखा है और ना ही उसका कोई हिस्सा दबा रखा है, असल रेस्पो0 के द्वारा तहसीलदार बहरोड के आदेशानुसार पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 17.06.2021 को तैयार की गई पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहते है जो पैमाईश रिपोर्ट पटवारी हल्का के द्वारा बाला—बाला में असल रेस्पो0 से मिलीभगत करके मनमर्जी से तैयार करवाई गई है जिस पैमाईश रिपोर्ट में जिस हिस्से पर अपीलाण्ट काबिज है उस हिस्से को

P.T.O.

असल रेस्पो0 का होना बताया गया है जो कि पैमाईश रिपोर्ट गलत है जिस पैमाईश रिपोर्ट से अपीलाण्ट नाकाबिज पाबन्द है जिस पैमाईश रिपोर्ट पर तहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने ही पत्थरगढी करने के आदेश दिनांक 08.02.2022 को दिये गये है वो गलत व बिना किसी आधार के दिये गये है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहत अदालत के द्वारा अपीलाण्टान को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये और ना ही अपीलाण्टान को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया केवल अपीलाण्टान के गांव में कैम्प कोर्ट दिनांक 23.11.2021 को लगाया गया था उसमें मिन अपीलाण्टान को बिना बताये ही हस्ताक्षर करवा लिये गये जिस पर अपीलाण्टान की उपस्थिति बताया जाकर दिनांक 05.01.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश कर दिये गये और दिनांक 08.02.2022 को तहत अदालत के द्वारा बाला–बाला में असल रेस्पा0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित कर दिये गये जो आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने पारित किये गये है जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मिन अपीलाण्टान को तहत अदालत के आदेश दिनांक 08.02.2022 की कोई जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 02.06.2022 को तहसील बहरोड़ जिला अलवर के कर्मचारी उपरोक्त वर्णित आराजी पर आकर पत्थरगढी करने के लिये पहुचें तो मिन अपीलाण्टान द्वारा उनको ऐसा करने से मना किया तो उनके द्वारा तहत अदालत के आदेश दिनांक 08.02.2022 को पत्थरगढ़ी करने बारे में बताया तो मिन अपीलाण्टान द्वारा तहत अदालत के आदेश की नकल दिनांक 07.06.2022 को प्राप्त हुई एवं नकल प्राप्त होने पर मिन अपीलाण्टान ने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया एवं कानूनी सलाह ली तो वकील साहब द्वारा तहत अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की सलाह दी गई इस प्रकार मिन अपीलाण्टान को तहत अदालत के आदेश दिनांक 08.02.2022 की जानकारी दिनांक 02.06.2022 तक व कानूनी सलाह लेने में गुजरे समय को कन्डोन किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है जिस बाबत दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत भू–अभिलेख अधिकारी पदेन उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला अलवर का आलौच्य आदेश दिनांक 08.02.2022 को अपास्त किये जाने की कृपा करे।

रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1666/5026 रकबा 09 ऐयर, 1668/5027 रकबा 26 ऐयर, 1670 रकबा 50 ऐयर, 1679 रकबा 45 ऐयर, 1680 रकबा 61 ऐयर, 1681 रकबा 51 ऐयर, 1735/5058 रकबा 42 ऐयर, खसरा नम्बर 1737/5029 रकबा 06 ऐयर, 967/5010 रकबा 20 ऐयर, 968/5011 रकबा 14 ऐयर, 974/5017 रकबा 12 ऐयर, 968/5011 रकबा 14 ऐयर, 974/5017 रकबा 12 ऐयर, 978/5020 रकबा 04 ऐयर, 995/5021 रकबा 01 ऐयर, 996/5022 रकबा 03 ऐयर वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड में स्थित है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा आराजी खसरा नम्बर हाल 1654 रकबा 20 ऐयर, 1655 रकबा 22 ऐयर, 1656 रकबा 34 ऐयर, 1657 रकबा 47

P.T.O.

ऐयर, 1658 रकबा 28 ऐयर, 1661 रकबा 44 ऐयर, 1662 रकबा 05 ऐयर, 1663 रकबा 56 ऐयर, 1664 रकबा 64 ऐयर, 1666 रकबा 32 ऐयर व खसरा नम्बर 647 रकबा 27 ऐयर, 663 रकबा 19 ऐयर, 816 रकबा 1.026 हेक्टेयर, 826 रकबा 95 ऐयर, 846 रकबा 26 ऐयर, 848 रकबा 16 ऐयर, 873 रकबा 35 ऐयर, 899 रकबा 15 ऐयर, 914 रकबा 13 ऐयर, 965 रकबा 19 ऐयर, 1683 रकबा 61 ऐयर, 1682 रकबा 61 ऐयर व 1355 रकबा 45 ऐयर, 1507 रकबा 27 ऐयर, 1508 रकबा 26 ऐयर, 1509 रकबा 29 ऐयर, 1510 रकबा 29 ऐयर, 1513 रकबा 54 ऐयर, 1676 रकबा 20 ऐयर, 1677 रकबा 24 ऐयर, 1678 रकबा 44 ऐयर व 1638 रकबा 38 ऐयर, 1639 रकबा 02 ऐयर, 1640 रकबा 19 ऐयर, 1671 रकबा 74 ऐयर, 1674 रकबा 33 ऐयर, 1675 रकबा 35 ऐयर, 658 रकबा 17 ऐयर, 675 रकबा 64 ऐयर, 676 रकबा 85 ऐयर, 755 रकबा 1.04 हैक्टेयर, 803 रकबा 76 ऐयर, 866 रकबा 26 ऐयर, 869 रकबा 23 ऐयर व 1668 रकबा 35 ऐयर, 1669 रकबा 25 ऐयर व 967 रकबा 20 ऐयर व 1737 रकबा 63 ऐयर, 1738 रकबा 69 ऐयर व 1689/5232 रकबा 28 ऐयर, 528 रकबा 12 ऐयर, 530 रकबा 27 ऐयर 547 रकबा 25 ऐयर, 793/5225 रकबा 10 ऐयर, 924/5226 रकबा 14 ऐयर, 974 रकबा 33 ऐयर व 978 रकबा 11 ऐयर, 994 रकबा 81 ऐयर, 995 रकबा 24 ऐयर, 996 रकबा 52 ऐयर व 966 रकबा 10 ऐयर, 235 रकबा 34 ऐयर, 256 रकबा 44 ऐयर, 279 रकबा 46 ऐयर, 572 रकबा 53 ऐयर, 573 रकबा 44 ऐयर, 574 रकबा 47 ऐयर, 703 रकबा 39 ऐयर, 968 रकबा 21 ऐयर वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर में स्थित है जो अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 71 की खातेदारी की है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की आराजी मुतनाजा के साथ अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 71 की आराजी लगती हुई है जो मुताबिक नक्शा ट्रेस के आपस में डोल लगती हुयी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की आराजी की डोल को तोड़कर अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 71 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के रकबा को अपनी जमीन में दबा रखा है तथा अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 71 को रकबा छोड़ने के लिये कहने एवं मुताबिक रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस के आराजी मुतनाजा की डोल के लिये कहने पर अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 71 कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने आराजी मुतनाजा की पैमाईश के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार साहब बहरोड के आदेशानुसार दिनांक 17.06.2021 को पटवारी हल्का द्वारा मौके की पैमाईश रिपोर्ट तैयार की तथा अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 71 की जमीन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का रकबा दबा हुआ मिला। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 71 को मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी करवाने के लिये दिनांक 20.06.2021 को कहा तो अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 71 ने हॉ भर ली और आज–कल आज–कल करके टाल–बाल करते रहे और दिनांक 26.06.2021 को पत्थरगढ़ी करवाने से इन्कार कर दिया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की जमीन का जो रकबा दबाया हुआ है को छोड़ने से मना कर दिया जिस सूरत में प्रार्थना पत्र करवाये जाने पत्थरगढी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी व पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 17.06.2021 के अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जाना लाजिमी आया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को विधिवत रूप से तलबी नोटिस साधारण एवं रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवाये गये है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना दिनांक 28.04.2022 की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी की एवं फसल की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के अधिकार कानूनन प्रदत्त है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अपनी स्वयं की खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान एवं सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2022 पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी या तरतीबी रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का उज्रात या एतराज करने का हक, अधिकार कानूनन प्रदत्त नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2022 की पालना में पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक 28.04.2022 को पूर्ण भी की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 08.02.2022 को यथावत रखा जाता है। यदि अपीलार्थीगण व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 71 भी अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने चाहते है तो वे अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी विधिवत रूप से करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त, 9/1/23
जयपुर।

– संशोधन आदेश।–
संशोधन आदेश दिनांक 23.1.2023 के अनुसरण में निर्णय दिनांक 09.01.2023 के अंतिम पृष्ठ के अंतिम पैरा के "उपखण्ड अधिकारी नीमराना के स्थान पर "उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ संशोधित किया जाता है।

23/1/23
संभागीय आयुक्त
जयपुर